रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 400] नई दिल्ली, बुधवार, जून 13, 2018/ज्येष्ठ 23, 1940
No. 400] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 13, 2018/JYAISTHA 23, 1940

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2018

सा.का.नि. 555(अ).—चूंकि वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारुप वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का XXII) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की तारीख 20 मार्च, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 242(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए, जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में प्रकाशित राजपत्र की प्रतियां 20 मार्च, 2018 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थी;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रारूप नियमों के बाबत जनता से कोई आक्षेप या सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार उक्त वायुयान अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में, अनुसूची II में,--

(क) अनुभाग थ में,---

(i) पैरा 1, में, खंड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए, अर्थातः-

"(ख) ज्ञान—वह विहित पाठ्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित विषयों में मौखिक या लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करेगाः—

(i) अनुप्रयुक्त अनुदेश की तकनीक;

(ii) उन विषयों जिनमें ग्राउंड अनुदेश दिया गया है, में छात्र के कार्यनिष्पादन का निर्धारण;

(iii) शिक्षण प्रक्रिया;

(iv) प्रभावी शिक्षण के संघटक;

(v) छात्र मूल्यांकन और परीक्षण, प्रशिक्षण तत्वज्ञान;

(vi) प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास;

(vii) पाठ की आयोजना;

(viii) क्लासरूम अनुदेशात्मक तकनीक;

(ix) उड़ान सिमुलेशन प्रशिक्षण जो यथोचित हो, सहित प्रशिक्षण सामग्री का उपयोग;

(x) छात्र की गलतियों का विश्लेषण और सुधार;

(xi) आशंका एवं गलती प्रबंधन के सिद्धांत सहित सुसंगत उड़ान अनुदेश के लिए मानवीय कार्य निष्पादन;

(xii) सिमुलेटिंग प्रणाली में विफलता और वायुयान के व्यवस्थित रूप से कार्य न करने में निहित जोखिम।

(ग) अनुभव—- वह इस रेटिंग के लिए आवेदन की तारीख से किसी विमान के पायलट के रूप में निम्नलिखित उड़ान काल समाधानप्रद रूप में पूरा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा—-

(i) किसी विमान के समादेशक पायलट के रूप में एक सौ घंटों से अन्यून का उड़ान काल जिसमें से बीस घंटों से अन्यून का उड़ान काल आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती अठारह मास की अवधि के भीतर पूरा किया होगा; और हेलीकॉप्टर की बाबत हेलीकॉप्टर के समादेशक पायलट के रूप में पचास घंटों से अन्यून का उड़ान काल आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती अठारह मास की अवधि के भीतर पूरा किया गया होगा; और

(ii) किसी अनुमोदित उड़ान अनुदेशक/परीक्षक के अधीन महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार किसी अनुदेशक के रूप में बीस घंटों से अन्यून का उड़ान प्रशिक्षण।";

(ii) पैरा 3 में,---

(क) खंड (क) में "और समाधानप्रद रूप में सक्षमता जांच भी पूरा कर लिया हो" शब्दों का लोप किया जाए;

(ख) खंड (ख) में, "अधिकथित पैरा 1(ख) में सुसंगत विमानन विषयों में मौखिक या लिखित परीक्षा" शब्दों के स्थान पर "महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किसी उड़ान अनुदेशक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम" शब्दों को रखा जाए;

(ख) अनुभाग द में,---

(i) पैरा 1 में,---

खंड (ख) और (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाए, अर्थात:---

"(ख) ज्ञान--- वह विहित पाठ्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित विषयों में मौखिक या लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करेगा:-

(i) अनुप्रयुक्त अनुदेश की तकनीक;

(ii) उन विषयों जिनमें ग्राउंड अनुदेश दिया गया है, में छात्र के कार्य निष्पादन का निर्धारण;

(iii) शिक्षण प्रक्रिया;

(iv) प्रभावी शिक्षण के संघटक;

(v) छात्र मूल्यांकन और परीक्षण, प्रशिक्षण तत्वज्ञान;

(vi) प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास;

(vii) पाठ की आयोजना;

(viii) क्लासरूम अनुदेशात्मक तकनीक;

(ix) उड़ान सिमुलेशन प्रशिक्षण जो यथोचित हो, सहित प्रशिक्षण सामग्री का उपयोग;

(x) छात्र की गलतियों का विश्लेषण और सुधार;

(xi) आशंका एवं गलती प्रबंधन के सिद्धांत सहित सुसंगत उड़ान अनुदेश के लिए मानवीय कार्य निष्पादन;

(xii) सिमुलेटिंग प्रणाली में विफलता और वायुयान के व्यवस्थित रूप से कार्य न करने में निहित जोखिम।

(ग) अनुभव—- वह इस रेटिंग के लिए आवेदन की तारीख से किसी विमान या हेलीकॉप्टर, यथास्थिति, के पायलट के रूप में समाधानप्रद रूप में पूरा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा—-

(i) (क) रात में समादेशक पायलट के रूप में बीस घंटे का उड़ान काल जिसके दौरान कम से कम बीस बार उड़ान भरी होनी चाहिए और बीस बार अवतरण भी होना चाहिए; और

(ख)किसी सहायक उड़ान अनुदेशक या रक्षा बलों की सेवा में अर्हता प्राप्त उड़ान अनुदेशक की हैसियत में, यथास्थिति, विमान पर दौ सौ घंटे का उड़ान काल या हेलीकॉप्टर पर एक सौ घंटे का उड़ान काल समाधानप्रद रूप में पूरा किया हो; या

(ii) यथास्थिति, किसी विमान पर समादेशक पायलट के रूप में पांच सौ घंटे का उड़ान कल या हेलीकॉप्टर के समादेशक पायलट के रूप में दो सौ घंटे का उड़ान काल पूरा किया हो:

परंतु रक्षा बलों से ऐसा पायलट जिसने अर्हता प्राप्त उड़ान अनुदेशक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो और जो इस खंड और खंड (घ) में अधिकथित अपेक्षाओं को भी पूरा करता हो, उड़ान अनुदेशक रेटिंग जारी करने के लिए विचार किया जा सकेगा यदि उसने आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह मास की अवधि के भीतर उड़ान अनुदेशक के रूप में बीस घंटों से अन्यून का उड़ान काल पूरा किया हो।";

(ख) खंड (ड.) के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात:---

"(च) उड़ान अनुदेशक--- उप-पैरा (ग) में अधिकथित अनुभव अपेक्षा पूरी करने के पश्चात, आवेदक उप-पैरा (ड़) में उल्लिखित कौशल परीक्षण करने से पूर्व महानिदेशक द्वारा अनुमोदित उड़ान अनुदेशक पाठ्यक्रम पूरा करेगा और निम्नलिखित साक्ष्य उपलब्ध कराएगा---

(i) प्रदर्शन, छात्र अभ्यास, छात्र की सामान्य गलितियों की पहचान और सुधार सहित उड़ान अनुदेशात्मक तकीनीकों में अनुदेश पूरा कर लिया है;

(ii) उन उड़ान युक्ति चालनों और प्रक्रियाओं जिनमें उड़ान अनुदेश देना आशयित हैं, में अनुदेशात्मक तकनीक का अभ्यास कर लिया है।";

(ii) पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए, अर्थात:---

"3 नवीकरण—- उड़ान अनुदेशक रेटिंग को आवेदक के निम्नलिखित को समाधानप्रद रूप से पूर्ण करने की बाबत साक्ष्य की प्राप्ति पर नवीकृत किया जा सकेगा—-

(क) नवीकरण के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह मास की अवधि के भीतर उड़ान अनुदेशक के रूप में बीस घंटों से अन्यून का उड़ान काल समाधानप्रद रूप में पूरा किया हो; या

(ख) पैरा 1 के खंड (ड.) में अधिकथित नवीकरण के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती छह मास की अवधि के भीतर महानिदेशक द्वारा अनुमोदित उड़ान अनुदेशक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और उड़ान परीक्षण समाधानप्रद रूप में पूरा किया हो।"।

[फा. सं. एवी.11012/3/2017-ए]

शेफाली जुनेजा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना सं. वी-26 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 4 अप्रैल, 2018 की सा.का.नि सं. 333 (अ) द्वारा प्रकाशित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड 3, उप-खंड ((i) में किए गए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2018

G.S.R. 555(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, number G.S.R. 242(E), dated the 20th March, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 20th March, 2018;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public in respect of the draft rules within the period specified in the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely: —

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Second Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule II to the Aircraft Rules, 1937. —

(A) in Section Q, —

(i) in paragraph 1, for clauses (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely: —

"(b) Knowledge — He shall pass an oral or written examination in the following subjects in accordance with the prescribed syllabus:—

(i) Techniques of applied Instruction;
(ii) Assessment of student performance in those subjects in which ground instruction is given;
(iii) The learning process;
(iv) Elements of effective teaching;
(v) Student evaluation and testing, training philosophies.
(vi) Training programme development;
(vii) Lesson planning;
(viii) Classroom instructional techniques;
(ix) Use of training aids, including flight simulation training devices as appropriate;
(x) Analysis and correction of student errors;
(xi) Human performance relevant to flight instruction including principles of threat and error management;
(xii) Hazards involved in simulating system failure and malfunctions in the aircraft.

(c) Experience — He shall produce evidence of having satisfactorily completed as pilot of an aeroplane on the date of application for the rating —

(i) not less than one hundred hours of flight time as a Pilot-in-Command of an aeroplane of which not less than twenty hours shall have been completed within a period of eighteen months immediately preceding the date of application; and in the case of helicopters, not less than fifty hours flight time as a pilot-in-Command of a helicopter of which not less than twenty hours shall have been completed within a period of eighteen months immediately preceding the date of application; and

(ii) not less than twenty hours of flying training as an Instructor under an approved Flight Instructor/Examiner as per the syllabus prescribed by the Director-General.";

(ii) in paragraph 3,—

(a) in clause (a), the words "and also satisfactorily completed the competency checks" shall be omitted;

(b) in clause (b), for the words "oral or written examination in relevant aviation subjects as laid down in para 1 (b)" , the words "a Flight Instructor's refresher course approved by the Director-General" shall be substituted;

(B) in Section R, —

(i) in paragraph 1. —

(a) for clauses (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely: —

"(b) Knowledge — He shall pass an oral or written examination in the following subjects in accordance with the prescribed syllabus:—

(i) Techniques of applied Instruction;
(ii) Assessment of student performance in those subjects in which ground instruction is given;
(iii) The learning process;
(iv) Elements of effective teaching;
(v) Student evaluation and testing, training philosophies.
(vi) Training programme development;
(vii) Lesson planning;
(viii) Classroom instructional techniques;
(ix) Use of training aids, including flight simulation training devices as appropriate;
(x) Analysis and correction of student errors;

(xi) Human performance relevant to flight instruction including principles of threat and error management;

(xii) Hazards involved in simulating system failure and malfunctions in the aircraft.

(c) Experience — He shall produce evidence of having satisfactorily completed as pilot of an aeroplane or a helicopter, as the case may be, on the date of application for the rating—

(i) (a) twenty hours of flight time as pilot-in-command by night during which at least twenty take-offs and twenty landings have been carried out; and

(b) two hundred hours of flight time on aeroplanes or one hundred hours on helicopters, as the case may be, in the capacity of an Assistant Flight Instructor or Qualified Flight Instructor in the service of Defence Forces; or

(ii) five hundred hours flight time as Pilot-in-Command of an aeroplane or two hundred fifty hours as Pilot-in-Command of a helicopter, as the case may be:

Provided that a pilot from Defence Forces who has successfully completed the Qualified Flight Instructor's course and also satisfies requirements as laid down in this clause and clause (d), may be considered for the issue of Flight Instructor's Rating if he has not less than twenty hours of flight time as Flight Instructor within a period of twelve months immediately preceding the date of application.";

(b) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: —

"(f) Flight Instruction — After completing the experience requirement as laid down in clause (c), the applicant shall undergo a Flight Instructor's Course approved by the Director-General before undergoing the skill test as mentioned in clause (e) and shall provide evidence of —

(i) having received instructions in flight instructional techniques including demonstration, student practices, recognition and correction of common student errors; and

(ii) having practised instructional techniques in those flight manoeuvres and procedures in which it is intended to provide flight instruction.";

(ii) for paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"3. Renewal — The Flight Instructor's Rating may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant —

(a) having satisfactorily completed not less than twenty hours of flight time as a Flight Instructor within a period of twelve months immediately preceding the date of application for renewal; or

(b) having satisfactorily completed a Flight Instructor's refresher course approved by the Director-General and the flying tests within a period of six months immediately preceding the date of the application for renewal as laid down in clause (e) of paragraph 1.".

[F. No. AV.11012/3/2017-A]

SHEFALI JUNEJA, Jt Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 333(E), dated the 4th April, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i).

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.06.15 20:43:06 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.